न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–तृतीय, न्यायालय कक्ष संख्या–27, लखनऊ।

पीठासीन अधिकारी : आलोक वर्मा – 'उ.प्र. न्यायिक सेवा'

जमानत प्रार्थनापत्र सं0–2561/2025

राहुल गांधी – प्रति – उ.प्र. राज्य एवं उदय शंकर श्रीवास्तव

दाण्डिक परिवाद संख्या : 109161/2023
उदय शंकर श्रीवास्तव – प्रति – राहुल गांधी
धारा : 500 भारतीय दण्ड संहिता
थाना : सुशान्त गोल्फ सिटी
जनपद : लखनऊ

15–07–2025

निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र

आवेदक/अभियुक्त **राहुल गांधी** की ओर दाण्डिक परिवाद संख्या– 109161/2023 उदय शंकर श्रीवास्तव प्रति राहुल गांधी, थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, जनपद लखनऊ के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त उपरोक्त दाण्डिक परिवाद में पारित तलबी आदेश दिनांकित 11–02–2025 के अनुपालन में न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया है कि आवेदक को प्रस्तुत परिवाद प्रकरण में झूँठा फंसाया गया है। आवेदक निर्दोष है। आवेदक वर्तमान में रायबरेली संसदीय क्षेत्र से लोक सभा का सदस्य है। अतः उसके भागने की कोई सम्भावना नहीं है। आवेदक उचित और अनुकूल जमानत प्रस्तुत करने को तैयार है। तद्नुसार विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक को दौरान विचारण जमानत पर अवमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि प्रस्तुत प्रकरण सेना के सेवानिवृत्त एवं उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा संबंधितों की मानहानि से संबंधित है। अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने से समाज में गलत संदेश जायेगा। अभियुक्त के द्वारा सेना के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया गया है। ऐसी दशा में अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों का परिशीलन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्ततः तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी उदय शंकर श्रीवास्तव के द्वारा इन अभिकथनों के साथ आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद योजित किया गया कि वह सीमा सड़क संगठन में निदेशक के पद से सेवानिवृत्त है, जो भारतीय सेना में कर्नल के पद के समकक्ष है। दिनांक 16–12–2022 को "भारत जोड़ो यात्रा" के दौरान राहुल गांधी ने यह कथन किया कि "चीनी सेना, भारतीय सेना को पिट रही हैं" इस कथन से उसे आघात लगा। फिर जब उसने पता किया तो मालूम चला कि 09 दिसम्बर को यांत्से (अरुणांचल प्रदेश) में सेना के बीच एक झड़प हुई थी, इसी के संबंध में राहुल गांधी बोल रहे थे। इस संबंध में भारतीय सेना का आधिकारिक बयान 12 दिसम्बर को आया, जिसमें कहा गया कि चीनी सेना भारतीय सीमा का अतिक्रमण कर रही थी, जिसका भारतीय सेना द्वारा मुंहतोड़ जबाव दिया गया, जिससे चीनी सेना अपने क्षेत्र में वापस चली गयी। दोनों पक्षों को मामूली चोटें आयीं। ऐसे में राहुल गांधी का बयान वास्तविकता से परे है। इस बयान से परिवादी को बहुत आघात पहुँचा। राहुल गांधी इस प्रकार का बयान खुशी–खुशी दे रहे थे, जिससे वह सदमें में चला गया। इसके बाद जब भी वह बाहर जाता है तो लोग उसके ऊपर कटाक्ष करते हैं। इससे सेना का मनोबल तोड़ने का प्रयास किया गया है। सेना के अन्य साथी ने बताया कि वह भी उसकी तरह ही प्रताड़ना बर्दास्त कर रहे हैं। परिवादी की ओर से धारा 200

द0प्र0सं0 के अन्तर्गत स्वयं का बयान न्यायालय के समक्ष अंकित कराया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम–दृष्ट्या मामला पाते हुए तलबी आदेश दिनांकित 11–02–2025 द्वारा अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 500 के अन्तर्गत विचारण हेतु आहूत किया गया, जिसके अनुपालन में अभियुक्त राहुल गांधी आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए।

प्रस्तुत प्रकरण परिवाद पर आधारित है। परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद एवं अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ में परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर किये गये विरोध को दृष्टिगत रखते हुंए न्यायालय यह अवधारित करती है कि प्रस्तुत प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 500 से संबंधित है, जिसमें मानहानि किये जाने से संबंधित अपराध को दण्डनीय बनाया गया है। अभियुक्त के द्वारा अभिकथित अपराध दो वर्ष तक के कारावास या अर्थदण्ड या दोनों से दण्डनीय है। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा अभिकथित अपराध माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Satender Kumar Antil Vs. Central Bureau of Investigation and others : (2022) 10 SCC 51** के तहत विचारणीय है। उपरोक्त विधि व्यवस्था में पारित दिशा–निर्देशों के आलोक में इस स्तर पर प्रकरण में गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, अभियुक्त को विचारण के दौरान **सशर्त जमानत** पर अवमुक्त किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **राहुल गांधी** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा **अंकन 20,000/- रुपये बीस हजार रूपयें मात्र)** का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि के **दो** प्रतिभूपत्र निष्पादित करने पर उसे दौरान विचारण निम्नांकित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता हैः–

1– अभियुक्त न्यायिक कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।

2– अभियुक्त इस आशय की वचनबद्धता (Undertaking) भी समक्ष न्यायालय प्रस्तुत करेगा कि समक्ष न्यायालय विचारण के समय, वह न्यायालय मे व्यक्तिगत रूप से अथवा जरिए अधिवक्ता प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहेगा तथा जब भी न्यायालय द्वारा आहूत किया जायेगा वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होगा। उसके अधिवक्ता, साक्षीगण के उपस्थित आने पर साक्ष्य की कार्यवाही में भाग लेंगे और साक्षीगण की प्रतिपृच्छा करेंगे। अभियुक्त द्वारा विचारण की कार्यवाही में सहयोग न करने की दशा में उसकी जमानत निरस्त कर, अभियुक्त एवं प्रतिभूगण के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(आलोक वर्मा)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–तृतीय,
न्यायालय कक्ष संख्या–27,
लखनऊ।

Digitally signed by ALOK VERMA
Date: 2025.07.15 17:35:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court